न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 129/2022 बउनवानी रमेश मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मित्रपुरा पुः

श्री मूल्या मीना निवासी ग्राम जटलाव पोस्ट गूगडोद तहसील मित्रपुरा

GCMS No-2022/205

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गयाः—

1. ख0न0 1298/1870,1322,1313,1617 एवं 1312 की भूमि कब से सिवायचक घोषित हुई है।
2. ख0न0 1298/1870,1322,1313,1617 एवं 1312 की भूमि सिवायचक होने से पहले किन व्यक्तियों के नाम थी।
3. ख0न0 1298/1870,1322,1313,1617 एवं 1312 की भूमि के सिवायचक होने की घोषणा की सार्वजनिक सूचना की प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2022/48 दिनांक 9.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 25.8.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही- गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 296 दिनांक 20.9.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किंये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब से हम सहमत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जा[illegible] को सुझाव दिया जाता है कि उक्त ख0न0 की कोई विशेष अवधि [illegible] प्राप्त करने हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन पत्र नये [illegible] मित्रपुरा से सूचना प्राप्त कर सकते हो। पत्रावली फैस[illegible] हो एवं [illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश [illegible] सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:39:14 IST
Reason: SelfAttested